न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या : 382 / 2015

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जगमालराम पुत्र जोगाराम जाति भील निवासी भीलो की ढाणी कला पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		01. ईन्द्राराम पुत्र केसराराम 02. हड़मताराम पुत्र केसराराम 03. धन्नाराम पुत्र केसराराम जाति भील निवासी भीलो की ढाणी कलां पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना 04. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू: 03.06.2015

अधिवक्तागण :–

1. **श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादी**
2. **प्रतिवादी संख्या 01 से 03 एकतरफा व प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार सरकार**

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

–: : निर्णय : :–

दिनांक: 09.07.2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी की भूमि मौजा भीलों की ढाणी पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 87 रकबा 08 बिस्वा गै मुमकिन ढाणी खसरा संख्या 88 रकबा 24.08 बीघा किस्म बारानी सोयम की आई हुई है जो भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है तथा वर्तमान में उक्त भूमि के मात्र वादी ही रेकर्डेड खातेदार है तथा वादी के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 24–08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के सेढे व माठ आदि बने हुए है जिस पर पेड़ पौधे भी लगे हुए है तथा उक्त सीमाओं के भीतर [illegible] शांतिपूर्वक ढंग से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी नि[illegible] [illegible] सम्बंधी, नक्शा की प्रमाणित प्रति सलग्न है। कि वादी व प्रतिवादीगण के [illegible] खसरा संख्या 2, 87, 88 व 114 कुल रकबा 118–09 बीघा संयुक्त खातेदारी [illegible], जो पक्षकारान ने न्याया[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Scanned with OKEN Scanner

जरिये बंटवाड़ा करवाया गया तथा बंटवाड़े के अनुसार पारित नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 05.08.2013 को खसरा नम्बर 88 वादी को हिस्से में दिया गया है जिस कारण वर्तमान खसरा नम्बर 88 पर वादी अकेले का कब्जा काश्त है परन्तु वर्तमान में बाड़मेर जिले में जमीनों की किमतो में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गया तथा वादी के खातेदारी की भूमि को हड़प करने की बदनियत से वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से अन्य भूमाफियों के साथ मिलकर दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करने का प्रयास अरसा एक माह पूर्व करने लगे तथा वादी का धमकी दी कि वह (प्रतिवादीगण) जबरन बलपूर्वक वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा कर वादी को हमेशा के लिये बेदखल कर दिया जायेगा जिस पर वादी 10.12. 2014 को पुलिस थाना धोरीमन्ना में रिपोर्ट पेश की जिस पर एक बार प्रतिवादीगण रूक गये। कि प्रतिवादीगण की नियत में खोट आने व वर्तमान में भूमि की किमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 ने अनाधिकृत रूप से वादी की भूमि पर आज से अरसा 5–7दिन पूर्व बिना किसी विधिक अधिकार के बनी बनाई झौपड़ी रखकर कब्जा करने व वादी को उसके अधिकारों व भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया जाने लगा, जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा 88 वादी के खातेदारी की भूमि है जो वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जिस संबंध में प्रतिवादीगण को कोई भी विधि सम्मत अधिकार हासिल नही है लेकिन प्रतिवादीगण संख्याबल में अधिक होने के कारण अपने प्रभाव का नाजायज इस्तेमाल करते हुए वादी को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि से बेंदखल कर उस पर काबित होकर जबरदस्ती निर्माण कार्य करवाने पर प्रयासरत है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादीगण के पास न तो खसरा नम्बर 88 के संबंध में कोई वैध दस्तावेज है और न ही वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को विधि सम्मत अधिकार हासिल है। कि वर्तमान में अरसा 5 दिन पूर्व से प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर बने पुराने कदीमी माठे व सेढे का तोड़ कर जबर काबिज होने पर आमादा हुए तब वादी द्वारा मना किया तो प्रतिवादीगण वादी के साथ झगड़झ करने पर आमादा हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वह वादी के खेत पर जबरन कब्जा करके पक्का निर्माण कर देगे तथा वादी को हमेशा के लिए बेदखल कर देगे तथा प्रतिवादीगण नही माने था प्रतिवादीगण मौके की फिराक में है तथा मौका मिलने पर वादी के कब्जे काश्त की भूमि जबरन पक्का निर्माण कर [illegible] को हमेशा के लिए महरूम कर देगें जिससे वादी को हितों पर भारी नुकसान होगा क्योंकि प्रतिवादीगण को ऐसा विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इसके विरूद्ध वादी को यह अधिकार है कि वह स्थायी निषेधाज्ञा हासिल कर प्रतिवादीगण को पाबदित करावें कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 88 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी हस्तक्षेप व बाधा न तो स्वयं कारित नही करे न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करे, जिसकी पूर्ति हेतु यह स्थायी निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि वाद कारण आज से अरसा 5 दिन पूर्व जब प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य व कब्जा काश्त की भूमि में से वादी को जबरन बेदखल कर वादी की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने लगे और जब वादी को उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ तब वादी ने प्रतिवादीगण को रोकने का प्रयास किया तो प्रवितादीगण ने मौका मिलने पर जबरन निर्माण कार्य कर वादी को हमेशा के लिए उसकी भूमि से महरूम करने की धमकीयां दी तब तब बमुकाम भीलों की ढाणी कलां पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर में उत्पन्न हुआ। कि स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य का जारी किया जावें कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की भूमि मौजा भीलों की ढाणी कलां पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 88 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा में भूमि वादी को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल नही करे तथा न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी करे तथा न ही जबरदस्ती काबित होकर निर्माण कार्य कराने का प्रयास करें।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये डाक तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नही होने तथा विधि समत तामिल होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई पत्रावली को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्यवादी के दौरान वादी जगमाल पीडब्लू 01 ने अपने खातेदारी के खेत की जमाबंदी व नक्शा तथा स्वयं के पहचान पत्र व अन्य सभी पैतृक खेतो की जमाबंदी प्रदर्शित करवायी गई दोनों पक्षों की साक्ष्य को बन्द किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित पत्रावली को सिधे बहस में नियुक्त किया गया।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता विस्तार पूर्वक सुनी तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। ऐसी स्थिति में न्यायालय वादी के कथनों से पूर्णरुप से सहमत है इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी की एकल खातेदारी की है तथा वर्ष 2013 से निर्विवाद रूप से रेकर्डड खातेदार की हैसियत से कब्जा काश्त है तथा उक्त प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का अधिकार या स्वामित्व नही बनता है इसीलिए इन्हे दखलअंदाजी करने का कोई अधिकार नही है न ही वादी की उक्त खसरा संख्या [illegible] 25-08 बीघा ग्राम भीलो की ढाणी कलां पटवार हल्का [illegible] किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी करने का अधिकार नही है तथा [illegible] ही एक मात्र रेकर्डेड स्वामि होने से उनके वैधानिक अधिकारों का सरक्षण किया [illegible] ना न्यायोचित प्रतित होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

Scanned with OKEN Scanner

इसीलिए वादी के पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के ग्राम भीलो की ढाणी कलां पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमन्ना कि खेत खसरा संख्या 88 रकबा 24–08 बीघा में प्रतिवादीगण स्वयं या किसी अन्य से दखलंअदाजी नही करे वादी को बेदखल नही करे किसी प्रकार का जबरदस्ती कब्जा या निर्माण नही करे तथा न ही अन्दर घुसने का प्रयास करें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते है।

–: : आदेश : :–

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आषय की सादिर की जाती है कि वादी के ग्राम भीलो की ढाणी कलां पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमन्ना कि खेत खसरा संख्या 88 रकबा 24–08 बीघा में प्रतिवादीगण स्वयं या किसी अन्य से दखलंअदाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे, किसी प्रकार का जबरदस्ती कब्जा या निर्माण नही करे तथा न ही अन्दर घुसने का प्रयास करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादी प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। अंतिम डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल पत्रावली हो। तहसीलदार धोरीमन्ना को अंतिम डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलास :– श्री धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
2. जगमालराम पुत्र जोगाराम जाति भील निवासी भीलो की ढाणी कला पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		04. ईन्द्राराम पुत्र केसराराम 05. हड़मताराम पुत्र केसराराम 06. धन्नाराम पुत्र केसराराम जाति भील निवासी भीलो की ढाणी कलां पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमन्ना 04. तहसीलदार धोरीमन्ना

मुकदमा नम्बरः– 382/2015

दावा बाबत्–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रु–ब–रु पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादी एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि ग्राम भीलो की ढाणी कलां पटवार हल्का लोहारवा तहसील धोरीमन्ना कि खेत खसरा संख्या 88 रकबा 24–08 बीघा में प्रतिवादीगण स्वयं या किसी अन्य से दखलंअदाजी नही करे वादी को बेदखल नही करे किसी प्रकार का जबरदस्ती कब्जा या निर्माण नही करे तथा न ही अन्दर घुसने का प्रयास करे इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादी प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। नीज.....मुबलिक.....बाबत्.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहर ..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.07.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:14 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner